

असाधाररग EXTRAORDINARY

भाग Ш-खण्ड 3-उप-हण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्लो, बृहत्नितवार, मई 12, 1988/वैशाख 22, 1910

No. 248]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 1988/VAISAKHA 22, 1910

इस भाग में भिन्न गृष्ठ संस्या दो बातो हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखाना सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विमाग)

भिससूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1988

का. या. 479 (अ) - मिबल मारवीय तकनीकी शिक्षा परिषद मधिनियम, 1987 (1987 को 52) के खंड 3 के उपखंड (1) और (4) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों (जिसे भाज के बाद जनत प्रधिनियन कहा गया है) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 12 मई, 1988 से प्रवित नारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद का यठन करवो है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, भयांत :--

- (1) केन्द्रीय गएकार के मानव संसाधन विकास मंद्री प्रध्यक्ष [घंड 3 के उपखंड (5) की घारा (क) के मनुजार]
- (2) केन्द्रीय मन्कार के जिल्ला राज्य मंत्री [खंड: (3) के उपखंड (5) की धारा (ख) के मन्सार]

- (3) शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंद्रालय में भारत सरकार के सचिव
- [बंद (3) के उपचंद (4) की धारा (ग) · के प्रनुसार]
- (4) मारत सरकार के शिक्षा सलाहकार (सामान्य) । चदस्य [संद (3) के उपखंड (4) की धारा (भ) परेत के धनुसार]
- (5) *चार जैबीय समितियां
- (6) के प्रध्यक्ष खिंड

(৩) "ম্চার

सदस्य

(7) (3) के उपखंड (4) की

(8) धारा (छ) के अनुसार]

सदस्य पदेन

प्रवित मारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोडं! [घंड (3) के उपखंड (4) की बारा (च) के भनुसार]



- (10) *अज्ञ्यक्ष, अखिल भारतीय तकतीशियन विक्षा सदस्य पदेन बोर्ड [बण्ड 3 के उपखंड (4) की खारा (च) के भनुसार]
- (11) *अध्यक्ष, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और सदस्य पदेन प्रौद्योगिकी अंदर स्नातक अध्ययन बोर्ड [बंद 3 के उपखंड (4) की धारा (च) के बनुसार]
- (12) *प्राप्यक्ष, प्रधिल पारतीय इंजीनियरिक और सदस्य पदेन प्रीद्योगिकी स्नातकोत्तर सिन्नाऔर धनुसंवान कोर्ड [बंद 3 के उपखंड (4) की धारा (व) के धनुसार]
- (13) *मध्यक्ष, प्रस्तिन भारतीय प्रबंध प्रध्ययन बोर्ड सहस्य पदेन [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (च्)] के प्रनुसार]
- · (14) **वित मंद्रालय के प्रतिनिधि [खंड 3 के धवस्य उपखंड (4) की बास (छ) के ब्राप्तार]
 - (15) दा. एम. बी. गौन्सीकर, धविन, विज्ञान सक्स्य और प्रौद्योगिकी मंदालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौती रोड, नई दिल्ली [खंड 3 के उपबंद (4) की धारा (ज) के धनुसार]
- (16) श्री ए. वी. गणेशन, प्रपर सचिव, उद्योग मंत्राजय, उदस्य बौद्योगिक विकास विनाग, उद्योग भवन, नई क्लिनी [खंड 3 के उपखंड (4) की सारा (स) के सनुदार]
- (17) श्री ए. एम. निन्दालहर, रोजाह और प्रीताम नारत सहानिदेशक और संयुक्त मिलिब, श्रम मंत्रात्रक, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली [खंड 3 के उप-] खंड (4) की धारा (स्र) के भ्रमुखार]
- (18) दा. वी. एव. प्रस्थाचलन, रशा मंत्रात्र के सदस्य वैज्ञानिक सताहकार और सचिव, रशा सनुसंसान और विकास विकाग, साउयों क्लाक, नई दिस्ती [खंड 3 के उपखंड (4) की सारा (क्ष) के मनुसार]
- (19) श्री एम. एम. कोहली, सचिव, ऊर्वा मंत्रालय, सरहर ी नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (म्र) के भनुवार]
- (20) तिके समा के सदस्य विदेश के उपवेद (४) जरात की बात (ज) के धनुसार]
- (21) रिज्य समा के सदस्य [खंड 3 के उन्देंड (4) स्टब्ट की धारा (व) के धनुसार]
- (22) **मांघ्र प्रदेश सरकार के प्रतितिधि [बंद स्टस्प 3 के उपखंद (4) की धारा (म) के धनुसार]
- (23) श्री विश्व सो घोंगां, सिक्षा मंत्री, मरूलावत स्वस्य प्रदेश संस्कार, इटानगर - 791 111 [खंद 3 के उपबंद (4) की सारा (ट) के सनुसार]
- (24) सी बृत्दावन गोस्वामी, शिक्षा मंत्री, मधुर अदस्य सरकार दिसपुर [पांट 3 के उप खंड (4) की सारा (ट) के सनुसार]

- (25) * * विहार सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उप- न खंड (4) की धारा (ट) के प्रनुष्ठार]
- (26) **गोवा सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उपबंड (4) की घारा (ट) के प्रतुवार]
- (27) **गुजरात सरकार के प्रतिनिधि [खंड 3 के उप-खंड (4) की धारा (ट) के प्रतृतार]
- (28) श्री के. जे. खप्दस्कामी, मताहकार (जिता) र अंडमान और निकोबार प्रदेत परिषद, अंडमान और निकोबार द्वीप, पोर्ट क्लेयर [खंड 3 के उपखंद (4) की बारा (ट) के प्रतुमार]
- (29) यृह सचिव, चंडीगढ़ संघ मासित प्रदेग चंडीगढ़- सन् 160009 [शंड 3 की उपचंद (4) की झाल (ट) के धनुसार]
- (30) मन्यरक्ष वाणिज्य तदा उद्योग सह महासंघ (एचोचेन) नई दिल्ली [घंड 3 की उपखंद (4) की घारा (1) के] मनुसार]
- (31) मध्यस सारतीय वाजिज्य एवं उद्योग संगुलंब का सर, नदी दिल्ली [श्रंड 3 की उनबंड (4) की धरत (1) के मनुसार]
- (32) प्रज्यक्ष नहार मारतीय दंजीनियरी उद्योग संघ नई दिल्ली [बंड 3 के उप खंड (4) की बाग (1) के प्रतुद्धार]
- (33) मध्यस : लगु उद्योग संग्र का महासंग, नई दिस्ती [बंड 3 के उपखंड (4) की धारा (1) के घनुसार]
- (34) का. कमला चौचुते,

 27/33 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110003
 केन्द्रीय सिता सलाहकार बोर्ड की प्रतिनिधि |
 [बंड 3 के उन्होंड (4) की बारा
 (ध) के प्रनुसार]
- (35) शा. एत. सी. माबुर, कुलपति, सदस्य ु रुक्की विस्वविद्यालय, रुक्की (भारतीय विस्व-विद्यालय संब के प्रतितिविद्य) [खंड 3 के उपबंड (4) की बारा (एस) (11) के प्रमुखरी
- (36) प्रोकेन्नर पी. जे. मवात, प्रव्यञ्च भारतीय तकतीकी शिक्षा सोलाइटी, अवतित्रं कुटोर, मकरपुरा रोड, वडौदा - 390009] [बंड 3 के उपबंड (4) की बारा (एम) (iii) के पतुसार]}
- (37) **रा. प्रतोक गांगूली, प्र**व्यक्ष, हिन्दुस्तान निवर तिमिटेश, 1*65*/166,

चास्य ≒

न रहें व

सङ्ख

च इंस्य



वैकवे रिक्लेमेजन, बम्बई - 400070 (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद के प्रतिनिधि) [खंड 3 के उपबंड (4) की धारा (एम) (iv) के प्रनुसार]

- (38) द्वा जे. एत. कौत, द्रुग कन्द्रोतर, स्वस्स्य तया उपाध्यक्ष, भारतीय कामसी परिषद 15, शामनायं मार्ग, नई दिल्ली-110054 [खंड 3 के उपजंड (4) की बाग (एम) (v) के मनुसार]
- ·(39) श्री जे. भार. भत्ला, प्रघ्नक्ष, बास्तुकला परिषद सदस्य श्र-बी, शंकर मार्केट कनाट सर्गंस, नई दिल्ली-110001 [संड 3 के उपखंड (4) की बारा (एम) (vi) के प्रनुसार]
- (40) महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, सदस्य नई दिल्ले [खंड 3 के उपखंड (4) की । धारा (एम) (vii) के धनुमार]
- (41) * * इत्तरीट्यूगन भाषा इंजीनियसं के प्रतिनिधि सदस्व (1), नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) की धारा (एन) के भनुसार]
- (42) प्रोक्तेसर पी. वी. इन्द्रोरसन, भारतीय प्रौद्योगिकी स्वदस्य संस्थान दिन्ती (इंग्डेट्यूगर प्राक्त इनैद्वोनेका एंड टेलिकम्यूनिकेतन इंजीनियन के प्रतिनिधेंच [खंड 3 के उपवंड (4) की धाण (एन) के प्रक्तुमार]
- (43) प्रोकेनर जय कृष्ण, ग्रन्थभ, स्वरस्य मारतीय संस्ट्रीय इंबीनियरी स्रक्ताटमी, रूड़की [खंड 3 के उपखंड (4) की क्षास (एन) के प्रमुक्तर]
- (44) डा. उत्पल के. बैनजीं, मुख्य कार्यकारी **सदस्य** मिखन भारतीय प्रवंध संब, 14 इन्स्टीयूमन्द एरिया, नोजी रोध, नई दिल्ली-110003 [खंड 3 के उरखंड (4) की द्यारा (द) के भनुसार]
- (45) डा. सी. एन. मार. राव, निदेशक, छदस्य भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलीर [बंड 3 के उनबंड (4) की धारा (भ) के धनुसार]
- (46) कुमारी मधु सरीन, 48, सैक्टर-4 स्वक्स्य चंडीगढ़-160001 [यंद 3 के उपयंद (4) की धारा (ण) के धनुसार]
- (47) प्रघ्यस, विस्वविद्यालय प्रतृदान प्रत्योग सदस्य नई दिल्ली [बंद उ के उपचंद (4) की प्रारा पदेन] (द) के प्रनृक्षार]
- (48) निदेत्तन, प्रायोगिक बन्जनित सनुपंजान संस्थान, पुँचदस्य पदेन नई दिल्ली [बंड 3 के उपबंड (4) की बारा (प) के धनुसार]
- (49) महानिदेशक, भारतीय कृषि धनुसंघान परिषद, व दश्य पदेन नई दिल्ली बिंड 3 के उपबंड (4) की आग्रन

- (50) महानिदेशक, वैज्ञानिक तया औद्योगिक धनुसंघात सदस्य पदेन परिषद, नई दिल्ली [खंड 3 के उपखंड (4) को घारा (ध) के धनुसन्द्र]
- (51) शिक्षा सलाहकार (तसरीकी) शिला विजान सदन्य-सचिव भागव संसाधन विकास संवालय, शास्त्री स्थान, परेन नई दिल्ली-110001 [उपबंड (4) की बारा (न) तथा खंड 3 के 50) उपखंड (ण) के अनुसार]
- ाटप्पणी :*) इत तिकायों के प्रष्यक्ष उस तारीख से पदेत सहत्य बत जायेंगे जिस तारीख से वे लेवीय समितियों के प्रष्यक्ष के कार्यालय का कार्य संपालेंगे और प्रथवा जैसा भी भामला हो, प्रतः उक्त प्रवित्यम के खंड 13 और 14 के अंतर्गत परिषद हारा प्रयासन बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
 - भेटे. इन संस्टरों का प्रतिनिद्धित्व करते वाले सदस्य परिषद् के स्टब्स्य के रूप में उस दिर से कार्यमार बहुण करेंगे जबकि उन्हें नियुक्त किया जायेता।
 - 5 वे उस तारीख से परिषद के सदस्यों के रूप में कार्यालय में कार्यगार प्रहण करेंने जबकि संबंधित सक्तों द्वान परि-षद का चुनाव किया आयेला है

[सं. फा. । - ।श/ss - टी.र्रंऽ] रश्रोक चन्द्र, शिक्षा सत्ताहक्तर (तहनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Depart nent of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1988

- S.O. 479(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby establishes with effect from the 12th day of May, 1988, a Council by the name of the All India Council for Technical Education consisting of the following members, namely:—
 - [(1) the Minister for Human Resource Development of the Central Government [vide clause (a) of sub-section (5) of section 3] Chairman
 - (2) the Minister of State for Education of the Vice-Central Government (vide clause (b) of Chairman sub-section (5) of section 3]
 - (3) the Secretary to the Government of India Member, in the Ministry of Central Government Ex-Officio dealing with education [vide clause (c) of sub-section (4) of section 3]
 - (4) the Educational Adviser (General) to the Member, Government of India [vide clause (d) of Ex-Officio sub-section (4) of section 3]
 - (5) the Chairman of the four Regional Member, (6) Committees [vide clause (e) of sub-section (7) (4) of section 3]
- (9) the Chairman, the All India Board of Member,

- (10) *the Chairman, the All India Board of Member, Technician Education or [vide clause (f) of Ex-Officio sub-section (4) of section 3]
- (11) the Chairman, the All India Board of Member, Under-Graduate Studies in Engineering Ex-Officio and Technology [vide clause (f) of subsection (4) of section 3]
- (12) *the Chairman, the All India Board of Member, Post-Graduate Education and Research Ex-Officio in Engineering and Technology [vide clause (f) of sub-section (4) of section 3]
- (13) *the Chairman, the All India Board of Member,
 Management Studies (vide clause (f) of Ex-Officio
 sub-section (4) of section 3].
- (14) **Representative of the Ministry of Finance Member [vide clause (g) of sub-section (4) of section 3]
- (15) Dr. V.R. Gowrikar, Secretary, Ministry Member of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi [vide clause (h) of sub-section (4) of section 3]
- (16) Shri A.V. Ganesan, Additional Secretary, Member Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Udyog Bhavan,
 New Delhi [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]
- (17) Shri A.M. Nimbalker, Director-General Member of Employment & Training and Joint Secretary, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]
- (18) Dr. V.S. Arunachalam, Scientific Adviser to Minister of Defence and Secretary, Department of Defence Research and Dévelopment, South Block, New Delhi [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]
- (19) Shri M.M. Kohli, Secretary, Ministry of Member Energy, New Delhi [vide clause (i) of subsection (4) of section 3]
- (20) †Member of the Lok Sabha [vide clause Member (j) of sub-section (4) of section 3]
- (21) †Member of the Rajya Sabha [vide clause Member (j) of sub-section (4) of section 3]
- (22) **Representative of the Government of Member Andhra Pradesh [vide clause (k) of subsection (4) of section 3]
- (23) Shri Khapriso Krong, Minister of Education, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar-791 111 [vide clause (k) of subsection (4) of section 3]
- (24) Shri Brindavan Goswami, Minister for Member Education, Government of Assam, Dispur-781006 [vide clause (k) of subsection (4) of section 3]
- (25) **Representative of the Government of Member

- (26) **Representative of the Government of Member Goa [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (27) **Representative of the Government of Member Gujarat [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (28) Shri K.J. Khandaswamy, Counsellor Memoer (Education), Andaman and Nicobar Pradesh Council, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (29) the Home Secretary, Union Territory of Member Chandigarh, Chandigarh-160009 [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (30) President, the Associated Chamber of Member Commerce & Industry (ASSOCHAM),
 New Delhi [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]
- (31) President, Federation of Indian Chamber Member of Commerce & Industry, New Delhi [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]
- (32) President, Confederation of Indian Engi- Member neering Industries, New Delhi [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]
- (33) President, Federation of Association of Member Small Scale Industries, New Delhi [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]
- (34) Dr. Kamlo Choudhury, 2A/33, Prithviraj Member Road, New Delhi-110003 (Representative of the C.A.B.E.) (vide clause (m) (i) of subsection (4) of section 3]
- (35) Dr. N.C. Mathur, Vice-Chancellor, University of Roorkee, Roorkee (Representative of Association of Indian Universities [vide clause (m) (ii) of sub-section (4) of section 3]
- (36) Prof. P.J. Madan, President, Indian Society for Technical Education, Dhan-Member wanti Kutir, Makarpura Road, Baroda-390 009 [vide clause (m) (iii) of subsection (4) of section 3]
- (37) Dr. Ashok Ganguly, Chairman, Hindus-Member tan [Lever Ltd. 165/166, Backbay Reclamation, Bombay-400070 (Representative of the Council of the Indian Institutes of Technology) [vide clause (m) (iv) of sub-section (4) of section 2]
- (38) Dr. J.L. Kaul, Drug Controller and Vice-Member President, Pharmacy Council of India, 15, Sham Nath Marg, New Delhi-110054 [vide clause (m) (v) of sub-section (4) of section 3]
- (39) Shri J.R. Bhalla, President, Council of Member Architecture, 8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001 [vide clause (m) (vi) of sub-section (4) of section 3]
- (40) Director-General, National Production



- (41) **Representative of the Institution for Member Engineers (I), New Delhi [vide clause f(n) of sub-section (4) of section 3]
- (42) Prof. P.V. Indiresan, Indian Institute of Member Technology, Delhi (Representative of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers) [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]
- (43) Prof. Jai Krishna, President Indian Member National Academy of Engineering, Roorkee [vide clause (n) of sub-section (4) of sub-section 3]
- (44) Dr. Utpal K. Banerjee, Chief Executive Member All India Management Association, 14, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003 [vide clause (n) of subsection (4) of section 3]
- (45) Dr. C.N.R. Rao, Director, Indian Institute of Science, Bangalore [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3]
- (46) Ms. Madhu Sareen, 48, Sector-4, Chandi- Member garh-160001 [vide clause (o) of subsection (4) of section 3]
- (47) the Chairman, University, Grants Commission, New Delhi [vide clause (p) of subsection (4) of section 3]
- (48) the Director, Institute of Applied Man-Member, power Research, New Delhi [vide clause (q) Ex-Officio of sub-section (4) of section 3]

- (49) the Director-General, Indian Council of Member, Agricultural Research, New Delhi [vide Ex-Officio clause (r) of sub-section (4) of section 3]
- (50) the Director-General, Council of Scientific Member, and Industrial Research, New Delhi Ex-Officio [vide clause (s) of sub-section (4) of section 3]
- (51) the Educational Adviser (Technical) Department of Education, Ministry of Human Succeeding, Resource Development, Shastri Bhavan, Ex-D Rick, New Delhi-110001 [vide clause (t) of subsection (4) and clause (c) of subsection (5) of section 3]

Notes:-

- •1. The Chairman of these bodies will become the members ex-officio from the date they assume the charge of the office of the Chairman of the Regional Committees or as the case may be, the Board of studies to be established by the Council junder sections 13 and 14 of the said Act.
- ••2. The members representing these organisations will assume the charge of the office of the member of the Council from the date they are so appointed.
- 13. They will assume the charge of the office of the member of the Council from the date of their election on the Council by the respective Houses of Parliament.

[No. F.1-18/33-T.5] ASHOK CHANDRA, Educational Adviser (Technical)